राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 10/2026 दायर तारीख 01/01/2026

अनवान

शम्भुलाल पुत्र भुरालाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 01. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी।
02. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 05/05/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 410/122 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज आराजी संख्या 121 किस्म गे0मु0 सड़क से विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 715/122 में होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी में पहुंचना बताया हैं। प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में रास्ते के आलामात मौजूद हैं। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु, ट्रेक्टर बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 30 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2074–2077 ग्राम मण्डोल एवं खसरा नक्शा उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 01.01.2026 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2026/472 दिनांक 10.02.2026 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2026/364 दिनांक 19.03.2026 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :– भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का लक्ष्मीखेडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मण्डोल के आराजी नं0 410/122 रकबा 0.8094 है० भूमि प्रार्थी शम्भूलाल पुत्र भूरालाल बलाई सा० लक्ष्मीनिवास के नाम दर्ज भूमि है। इस आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर स्थित नही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु आ0नं0 715/122 से 30 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं जो रकबा 0.1280 है0 भूमि बनता है, जो सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सलंग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित रास्ता की आ0नं0 715/122 एस.एच. से लगते हुये है। एन.एच. व स्वीकृत, संभावित खनन क्षेत्र से 01 कि.मी. से भी अधिक दूरी पर स्थित है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रिकॉर्ड में उपलब्ध नही है।

ग्राम मण्डोल की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 715/122 मे से रकबा 0.1280 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 1761200 /– रू0 प्रति है० से भूमि की मालियत 225434 /– रूपये का दुगुना से 450868/– रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय खसरा नक्शा की प्रतियां पेश की। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 410/122 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में आने जाने, स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी संख्या 1 की ग्राम मण्डोल की आ0नं0 715/122 में से रकबा 0.1280 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम मण्डोल की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 715/122 मे से रकबा 0.1280 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 1761200 /– रू0 प्रति है० से भूमि की मालियत 225434 /– रूपये का दुगुना से 450868/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां